न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दूदू

बइजलास :– गोपाल परिहार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 10 / 2024

1. दशरथ पुत्र हरिनारायण जाति बारागांव ब्राह्मण
2. गणेश पुत्र भैरूराम
3. सुरजकरण पुत्र गोवर्धन
4. कैलाश पुत्र मांगीलाल
   समस्त निवासी ग्राम चकवाडा, तहसील फागी, जिला जयपुर ।

(अपीलार्थी)

बनाम

1 तहसीलदार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर ।

(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व निर्णय

दिनांक 15.09.2020 तहसीलदार फागी जिला जयपुर के पत्रावली संख्या 02 / 2020 सरकार बनाम दशरथ वगैरह

उपस्थित :–

1. श्री उदय सिंह विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की और से।

2 पैरोकार सरकार ।

निर्णय दिनांक :– 29.10.2025

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाधीन भूमि तालाब के किनारें एक पुराना शिव मंदिर स्थित है। अपीलार्थीगण केवल मात्र उक्त मन्दिर के दर्शनार्थी है तथा मन्दिर में दर्शन करने के उद्देश्य से आवागमन है, इसके अलावा उक्त मन्दिर से अपीलार्थीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। अेधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि उक्त मन्दिर के पुजारी अपीलार्थीगण न होकर विनोद शर्मा है जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने बिना पक्षकार बनाये एवं अपीलार्थीगण को बिना वजह पक्षकार बनाकर हैरान परेशान करने की गरज से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। तहसीलदार द्वारा आज्ञा से पूर्व जो नोटिस दिया गया है वह कब्जा हटाने व माननीय

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner

हाजा के समक्ष उपस्थित होने के संबंध में दिया गया है जबकि अपीलार्थीगण को नोटिस जवाब देय का एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने के संबंध में दिया जाना चाहिए था। अपीलार्थीगण को किसी प्रकार का कोई अवसर दिये बिना व मनमानी कार्यवाही करते हुये आदेश पारित कर दिया। पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थीगण से रंजिशवश तैयार मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। वादग्रस्त उक्त खसरा नम्बर 2482/1 रकबा 27.3891 हैक्टेयर में से 0.0025 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 तालाब भूमि पर कोई कब्जा नहीं है, ओर ना कभी रहा है। उन्होंने कभी भी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं किया है बिना किसी आधार के उन्हें पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर बिना साक्ष्य सबूत का अवसर दिये ही आज्ञा पारित कर दी गई है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर तहसीलदार फागी जिला जयपुर द्वारा पत्रावली संख्या 02/2020 उनवानी सरकार बनाम दशरथ व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.09.2020 को निरस्त फरमाया जावें।

2. प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस की तलवी जारी की गई। रेस्पोडेन्ट पैरोकार सरकार उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गई।

3. प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलाधीन भूमि तालाब के किनारें एक पुराना शिव मंदिर स्थित है। अपीलार्थीगण केवल मात्र उक्त मन्दिर के दर्शनार्थी है तथा मन्दिर में दर्शन करने के उद्देश्य से आवागमन है, इसके अलावा उक्त मन्दिर से अपीलार्थीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। उक्त मन्दिर के पुजारी अपीलार्थीगण न होकर विनोद शर्मा है। अपीलार्थीगण को किसी प्रकार का कोई अवसर दिये बिना व मनमानी कार्यवाही करते हुये आदेश पारित कर दिया। पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थीगण से रंजिशवश तैयार मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। वादग्रस्त उक्त खसरा नम्बर 2482/1 रकबा 27.3891 हैक्टेयर में से 0.0025 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 तालाब भूमि पर अपीलार्थीगण का कोई कब्जा नहीं है, ओर ना कभी रहा है। उन्होंने कभी भी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं किया है अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर तहसीलदार फागी जिला जयपुर द्वारा पत्रावली संख्या 02/2020 उनवानी सरकार बनाम दशरथ व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.09.2020 को निरस्त फरमाया जावें।

4. पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थीगण ने ग्राम चकवाडा, तहसील फागी के खसरा नम्बर 2482/1 रकबा 27.3891 हैक्टेयर में से 0.0025 हैक्टेयर (25 वर्गमीटर) में पुख्ता बाउन्ड्रीबाल एवं शिवलिंग, शिव परिवार की मूर्तियॉ स्थापित कर नवीन अतिक्रमण करने पर बेदखली की नियमानुसार कार्यवाही की गई है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज फरमाई जावें।

5. उभयपक्ष की बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया । पत्रावली व दस्तावेजात का भलीभॉती अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि अपीलार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 2482/1 रकबा 27.3891 हैक्टेयर में से 0.0025 हैक्टेयर (25 वर्गमीटर) में पुख्ता बाउन्ड्रीबाल एवं शिवलिंग, शिव परिवार की मूर्तियॉ स्थापित करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर दिनांक 15.09.2020 को निर्णय पारित किया गया जो विधि सम्मत है।

6. अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फागी द्वारा प्रकरण संख्या 02/2020 बउनवानी सरकार बनाम दशरथ वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 15.09.2020 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न्यायोचित नहीं समझते हैं। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जाती है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर

Scanned with OKEN Scanner

7. निर्णय की प्रति मय मिसल मातहत तहसीलदार फागी को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।
8. निर्णय आज दिनांक 29.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(गोपाल परिहार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अति० जिला कलेक्टर
दूदू